भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1854
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लुधियाना में सरकार द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान

1854. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लुधियाना में एम्स, पीजीआई आदि की तर्ज पर केन्द्र द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आयु की किन्हीं सीमाओं अथवा मौजूदा बीमारियों के बिना सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा की सीमा को 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें एम्स, भटिंडा और सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला का उन्नयन शामिल है। लुधियाना में एम्स, पीजीआई आदि की तर्ज पर केंद्र द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थी आधार अथवा कवर राशि का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एबी पीएम-जेएवाई योजना में लाभार्थियों के लिए उम्र या पहले से मौजूद बीमारियों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

******